




## आचार्य नरेन्द्र देव किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बभनान-गोण्डा (उ०प्र०) 271313

---

### Certificate

*This is certify that Acharya Narendra Dev Kisan P.G. College, Babhn, Gonda is a composite Institute in which teacher training programmes naming B.Ed & B.P.Ed is conducted along with other academic courses (B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc, M.Com.) .*

  
Principal

Copy of letter No. 7023/G.S., dated July 23, 1973, from the Secretary to the Chancellor, U.P., Lucknow, addressed to the Registrar, Gorakhpur University.

I am directed to refer to your letter No. 5265/Affl. dated June 21/23, 1973, and to say that the Chancellor has, under Section 37(2) of the Uttar Pradesh State Universities Ordinance, 1973, been pleased to accord sanction to the proposal to grant provisional affiliation to Acharya Narendra Deo Kisan Degree College, Babhanan, Basti for the B.A. in Hindi, Sanskrit, Economics, Sociology, History, Political Science, and Education, for a period of one year with effect from July, 1973, subject to the fulfilment of all the conditions of affiliation as laid down by the University and subject also to the fulfilment of the following conditions:-

- ✓ 1. Keeping in view the requirements of the University Examinations the institution shall start teaching only in those additional subjects in which it has been able to attract at least twentyfive students.
2. The sum of Rs.20,000-00 which has been set apart for meeting the anticipated deficit in the first year should be pledged in the name of the Registrar. Similarly the amount relating to the anticipated deficit for the next two years may be pledged, in advance and by June 15th at the latest, in the name of the Registrar, in the subsequent years, i.e. before the session starts.
3. The Institution should also try to have the College Building and Hostel building for the Degree College constructed, as early as possible, and should also arrange for a suitable playground within a period of one year.

University of Gorakhpur.

No. 8896. /affl./ (UG)/73-74, dated August 6, 1973.  
Copy forwarded to the Manager, Acharya Narendra Deo Kisan Degree College, Babhanan(Basti) for information and necessary action in the following matters.

1. Expedite the querries made in this office Registered letter No.6274/Affl./1973-74, dated 7.7.1973.
2. A qualified Principal and Lecturers in each subject be appointed immediately as per rules attached.
3. Teaching in those subjects will not be started which attracts less than 25 students.
4. The amount of the anticipated deficits be pledged in favour of the Registrar, Gorakhpur University, Gorakhpur.
5. A detailed and specific report on each point of the conditions fulfilled be sent to this office as early as possible.
6. No student will be admitted unless the Vice-Chancellor gives a written certificate to the effect after due inspection and satisfactory report of the Panel of Inspectors received.
7. The meeting of the Selection Committee for the appointment of Principal/ Lecturers will be held in the Administrative Block of the Gorakhpur University. *(R.P. Ambast)*  
*Asstt. Registrar(Affl.)*

प्रेषक,

आर०क०मिश्र,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
डा० राम मनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय,  
फैजाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-लो०अ०वि०/सम्बद्धन/ए०एफ-403-3/545/2009, दिनांक 04.06.2009 एवं पत्रांक-लो०अ०वि०/सम्ब०/ए०एफ०-403/1259/2009, दिनांक 23.11.2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन आचार्य नरेन्द्र देव किसान पी०जी० कालेज, बम्नान, गोण्डा को स्नातक स्तर पर बी०का० पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2009 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(आर०क०मिश्र)  
अनु सचिव।

संख्या-4957(1) / सत्तर-6-2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
3. प्रबन्धक, आचार्य नरेन्द्र देव किसान पी०जी० कालेज, बम्नान, गोण्डा।
4. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर०क०मिश्र)  
अनु सचिव।



## डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक: लो०आ०वि०/सम्ब०/2019/१३५

दिनांक : ३०.५.२०१९

### सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 29.05.2019 के अनुपालन में आचार्य नरेन्द्र देव किसान पी०जी० कालेज, बभनान, गोण्डा को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत गृहविज्ञान, शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षाशास्त्र अतिरिक्त विषयों तथा परास्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत रसायन विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों को स्ववित्तप्रैषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

1. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या: 2851/सत्तर-2-2003-15(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय मे समय-समय पर अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्त महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ०प्र० राल्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, आधार-कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।
6. प्रत्येक वर्ष AISHE के PORTAL पर DCF-II से सम्बन्धित सूचनाएं अपलोड करना अनिवार्य होगा।
7. मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/ 2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
8. संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
9. संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011, दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
10. संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्धक, आचार्य नरेन्द्र देव किसान पी०जी० कालेज, बभनान, गोण्डा।
2. परीक्षा नियन्त्रक, डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
3. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
4. प्रोग्रामर, ई०जी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

/  
कुलसचिव



## डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक: लो०अ०वि०/सम्ब०/2019/303

दिनांक : 30.05.2019

### सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 20.05.2019 के आचार्य नरेन्द्र देव किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बभनान, गोण्डा को परास्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत जन्तु विज्ञान विषय तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत एम०काम पाठ्यक्रम को स्ववित्तप्रेषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2019-20 से स्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

1. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या: 2851/सत्तर-2-2003-15(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय मे समय-समय पर अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्तें महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता खत: समाप्त हो जायेगी।
5. महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, आधार-कार्ड, अनुबन्ध पत्र वैतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।
6. प्रत्येक वर्ष AISHE के PORTAL पर DCF-II से सम्बन्धित सूचनाएं अपलोड कराना अनिवार्य होगा।
7. मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/ 2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
8. संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
9. संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011, दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
10. संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्धक, आचार्य नरेन्द्र देव किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बभनान, गोण्डा।
2. परीक्षा नियन्त्रक, डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
3. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
4. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

प्राष्टीय ३. व्यापक शिक्षा परिषद्  
रत्त सरकार द्वा एक विधिक संस्थान)

उत्तर क्षेत्रीय समिति



युग्मज्ञानो धारा  
NCTE

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION  
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)

Northern Regional Committee

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA -PART - III, SECTION= -IV

F.NO. F-3/UP-1 /B.P.Ed./2000/4422

Date: 25.7.2000

Registered + AD

ORDER

In exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the National Council for Teacher Education (NCTE) Act, 1993, the Northern Regional Committee grants recognition to Acharya Narendra Dev Kisan PG College, Gonda, U.P. for B.P.Ed. of Two year<sup>Bachelor</sup> from the academic session 2000-2001 with an annual intake of 140 (One Hundred Forty ) students, subject to fulfilling the following conditions:

1. All such teachers already appointed who do not fulfil the NCTE norms shall acquire the qualifications as per the norms within a period of two years of this order.
2. The institution shall ensure library, laboratories and other instructional infrastructure as per the NCTE norms.
3. The admission to the approved course shall be given only to those candidates who are eligible as per the regulations governing the course and in the manner laid down by the affiliating University/State Government.
4. Tuition fee and other fees will be charged from the students as per the norms of the affiliating University/State Government till such time NCTE regulations in respect of fee structure come into force.
5. Curriculum transaction, including practical work/activities, should be organised as per the norms and standards for the course and the requirements of the affiliating University/Examining body.
6. Teaching days including practice teaching should not be less than the number fixed in the NCTE norms for the course.
7. The institution, if unaided, shall maintain endowment and reserve fund as per NCTE norms.
8. The institution shall continue to fulfil the norms laid down under the regulations of the NCTE and submit to the Regional Committee the Annual Report and the Performance Appraisal Report at the end of each academic year. The Performance

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्  
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)  
उत्तर क्षेत्रीय समिति



NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION  
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)  
Northern Regional Committee

F.NRC/NCTE/F-3/UP-1616/ 842  
Code : APN01337

Date: 12/08/2005

## ORDER

**ACHARYA NARENDRA DEO KISAN P.G. COLLEGE, POST - BABHNAN SUGAR FACTORY, GONDA-271313, UTTAR PRADESH** submitted an application to the Northern Regional Committee of National Council for Teacher Education for grant of recognition for **B.ED.** Course of 1 year duration in terms of section 14(1) of NCTE Act, 1993.

2. Now, therefore, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Regional Committee hereby grants recognition to **ACHARYA NARENDRA DEO KISAN P.G. COLLEGE, POST - BABHNAN SUGAR FACTORY, GONDA-271313, UTTAR PRADESH** for **B.ED.** course with an annual intake of **100** seats, w.e.f. **11/08/2005** subject to compliance of the following conditions before commencement of the academic session.

- a. Appointment of the faculty members duly qualified and staff as per the norms of NCTE/ State Govt./ UGC is to be completed before the commencement of the session.
- b. The countersigned statement of all faculty members from the Registrar of the concerned University should be submitted before the commencement of the academic session.
- c. The institution shall adhere to all the other regulations and guidelines as framed by NCTE from time to time.
- d. The institution shall within one month of the receipt of Recognition order, convert the Endowment Fund account into a Joint Account in the form of FDR for a period of not less than 60 months (Five Years) in a Nationalized Bank only to be operated along with an official of the Regional Committee.
- e. That the Reserve fund for an amount equal to three months salary of the Teacher & Staff be created within one month from the date of issue of this order and maintained in the form of FDR in favour of the management/ institution, for a period of not less than sixty months (Five Years) in a Nationalized Bank.

Non-compliance of the above mentioned conditions shall cause action under Section 17(1) of NCTE Act, 1993

3. The recognition is subject to the condition that the affiliating University shall ensure that, among other things, the institution has appointed required number of faculty members (including Principal/ Head of Department), as per the norms of the NCTE / UGC / Affiliating University.
4. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC and State Government, etc.

The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at

कार्यालय : ए-४६, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर-३०२००४ (राजस्थान)  
कार्यालय : उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान  
Phone No. 0141-2623501 (O). Telefax No. 0141-2620116 (RD)

Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302004 (Rajasthan)  
Jurisdiction : U.P., Uttrakhand, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan

E-mail ncte@raj.nic.in

Website <http://www.ncte-in.org>



Page 1 of 2